न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 54/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00177

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. जगदीश सिंह पुत्र मांगीलाल जाति पुरोहित, निवासी बापूनगर विस्तार, पाली, जिला पाली 2. नरपतसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी वणदार, तहसील रानी जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी, जिला पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः–19.11.2019

अपीलान्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रानी के प्रकरण संख्या 01/2018 बअनवान जगदीशसिंह वगैरा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 12.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्टगण एवं कुशालकंवर पुत्री मदनसिंह व जालमसिंह पुत्र मदनसिंह के संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम भादरलाउ के खसरा नम्बर 242 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की स्थित है। तहसीलदार रानी ने पटवारी हल्का भादरलाउ की रिपोर्ट पर अपीलाण्टगण के विरूद्ध उक्त आराजी पर उनके द्वारा बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण कार्य करवाने एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की खसरा नम्बर 240 व 248 की भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण संख्या 01/2018 दर्ज कर, उनको बिना सुनवाई का अवसर दिए दिनांक 12.09.2019 को निर्णय पारित करते हुए, भू.अ. निरीक्षक सोमेसर को जैर अपील आराजी में से अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि को तहवील राज लेने के आदेश दिए है। जो काबिल निरस्त है। जैर अपील आराजी अपीलाण्टगण व अन्य सह खातेदारान् की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसका विभाजन नहीं हुआ है। विधिक दृष्टिकोण से सह खातेदारी भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा माना गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टगण से दुर्भावना रखते हुए एवं अनुचित लाभ प्राप्ती की मंशा से अपीलाण्टगण के विरूद्ध नियमों के परे जाते हुए निर्णय पारित किया गया है। जो विधि सम्मत नहीं है। जैर अपील आराजी एक अविभाजित खातेदारी भूमि है, जिसे बिना विधिक विभाजन के हिस्सों का निश्चय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपील आदेश की पालना करने योग्य नहीं है। तहसीलदार, रानी द्वारा अपीलाण्टगण के नाम जारी नोटिस में विधि अनुसार तामील करवाए बिना ही उनके नाम जारी नोटिस को बाद तामील शुमार कर दिया, इसके बावजूद भी अपीलाण्टगण को उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी होने पर उन्होने अपने अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गौतम के द्वारा तहसील रानी से प्रकरण की पेशी पता कर दिनांक 12.09.2019 को न्यायालय तहसील रानी में उनके अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। जिसे रेस्पोडेण्ट ने पत्रावली पर नहीं लिया तथा अपीलाण्टगण को अनुपस्थित बताते हुए, एकतरफा निर्णय पारित कर दिया तथा उक्त निर्णय की पालना में अपीलाण्टगण की भूमि पर हुए निर्माण पर तोड़–फोड़ कर दी, जबकि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा उक्त आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में बार–बार जिस दीवार निर्माण कार्य का उल्लेख किया है, वह अपीलाण्टगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु निर्माण की जा रही थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 19 के तहत भूमि सुधार की श्रेणी में आता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा ग्राम भादरलाउ के खसरा नम्बर 242 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम जो उनकी खातेदारी भूमि है, उस पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लाई जाने से एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने से रेस्पोडेण्ट द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं हैं। अतः अपील अपीलाण्ट को अस्वीकार फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम भादरलाउ के खसरा नम्बर 242 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आराजी अपीलाण्टगण एवं अन्य खातेदार कुशालकंवर एवं जालमसिंह की सह खातेदारी भूमि है, जो राजस्व रेकर्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इस प्रकार अविभाजित खातेदारी भूमि पर कौन–कौन से खातेदार किस–किस भाग पर काबिज है, बिना वैधानिक बंटवाड़े के यह तय करना, संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सह–खातेदारी भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता हैं। इस स्थिति में बिना विभाजन के विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का मौके पर हिस्से का निर्धारण नहीं किया जा सकता हैं। पटवारी हल्का भादरलाउ ने अपनी मौका रिपार्ट दिनांक 04.01.2019 में उल्लेख किया है कि अपीलाण्टगण द्वारा बिना संपरिवर्तन करवाये खसरा नम्बर 242 रकबा 0.11 हैक्टेयर पर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि खसरा नम्बर 240 व 248 पर निर्माण कार्य कर रहे है तथा कार्य बन्द करवा कर, उन्हें बिना अनुमति के कार्य प्रारम्भ नहीं करने बाबत पाबन्द किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रानी ने जैर अपील प्रकरण दर्ज किया। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा सभी खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं कर, मात्र अपीलाण्टगण को ही पक्षकार संयोजित किया है। जबकि किसी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आराजी के संबंध में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, तो उक्त आराजी से संबंधित सभी खातेदारों को पक्षकार संयोजित करने के विधि में आज्ञापक प्रावधान दिए हुए है, क्योंकि उक्त आराजी के सम्बन्ध में होने वाले निर्णय से वे समस्त खातेदार प्रभावित होंगे। जिसकी पालना तहसीलदार रानी द्वारा नहीं किया जाना, एक भारी विधिक भूल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संलग्न अपीलाण्टगण के नाम जारी नोटिस के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अपीलाण्टगण की तामील विधि अनुरूप नहीं करवाई गई है तथा उन्हें सुनवाई का प्रोपर अवसर नहीं दिया गया। जबकि किसी भी प्रकरण में निर्णय पारित किए जाने से पूर्व समस्त पक्षकारों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता अपीलाण्टगण ने अपनी अपील एवं बहस में कथन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर चार दीवारी का निर्माण, अपनी फसल की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी खातेदारी भूमि में ही करवाया जा रहा था, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 5 की उपधारा 19 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु इस प्रकार के निर्माण कर सकते है। इस आधार पर रेस्पोडेण्ट तहसीलदार अपीलाण्टगण के विरूद्ध धारा 90 (क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है, किन्तु जहाँ तक प्रश्न सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करने का है, तो उस सम्बन्ध में विधि में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु भूमिधारी स्वतन्त्र हैं।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार रानी द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 बअनवान सरकार बनाम जगदीशसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2019 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार रानी को निर्देशित किया जाता है कि अगर अपीलाण्टगण द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के खसरा नम्बर 240 एवं 248 पर अतिक्रमण किया गया है, तो उनके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति साथ वास्ते पालनार्थ तहसीलदार रानी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2019.11.26 10:37:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: